..ायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

..शल संख्याः–144 / 2019 निर्णय दिनांक :–02.12.2022

..नवानी दावा :

1. बजरंगा पुत्र गोरिया जाति बलाई उम्र 55 वर्ष निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. कजोड़ी पुत्री गोरिया जाति बलाई उम्र 51 वर्ष निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. मथरा पुत्री गोरिया जाति बलाई उम्र 48 वर्ष निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र लादूलाल सोयल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. मूली देवी पत्नी सत्यनारायण सोयल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. मुकेश पुत्र सत्यनारायण सोयल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. सुगनी देवी पत्नी मुकेश सोयल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. शिमला देवी पत्नी नरेश सोयल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. प्रेमदेवी पत्नी जगन्नाथ जाति नायक उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

– प्रतिवादीगण –

–उपस्थिति –

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण

<u>वाद बेदखल आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा पेश वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी नं. 6 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे – काश्त की आराजी खाता संख्या 180 खसरा नम्बर 450 रकबा 0.29 है0 कुल किता 1 व कुल रकबा 0.29 है0 वाके तनग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। इसी प्रकार आराजी खाता संख्या 189 खसरा नम्बर 451 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर

6/1.2022

452 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 454 रकबा 0.04 है0 गै.मु.चा., खसरा नम्बर 456 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.60 है0 खसरा नम्बर 462 रकबा 0.90 है0, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 1133 रकबा 0.25है, खसरा नम्बर 1134 रकबा 0.14 है0 व खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.07 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 3.41 है0 वाके तनग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। राजस्व जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 में वर्णित आराजी खाता संख्या 143 खसरा नम्बर 450 रकबा 0.31 है0 में से वादी नं. 1 ने दिनांक 25.07.2006 को अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से 1/5 हिस्सा अर्थात् खसरा नम्बर 450 कुल रकबा 0.31 है0 में से अर्थात् 1/15 हिस्से की भूमि अर्थात् 0.02 है0 भूमि को ही जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी नं. 1 को बेचान की थी। वादी नं. 1 ने कब्जा भी 0.02 है0 भूमि यानि 2223 वर्गफिट पर प्रतिवादी नं. 1 को सुपुर्द किया था। उसके बाद राजस्व कर्मचारियो ने प्रतिवादी नं. 1 की खरीदशुदा भूमि की राजस्व रिकार्ड में तरमीम कर प्रतिवादी नं. 1 की खरीदशुदा भूमि के नये खसरा नम्बर 1823/450 रकबा 0.02 है0 कायम किये है। शेष रकबा 0.29 है0 आज भी वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि है । वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे– काश्त की आराजी खसरा नम्बर 450 रकबा 0.29 है0 व आराजी खसरा नम्बर 451 रकबा 0.05 है0 अड़वा स्थित है। वादीगण आराजी खसरा नम्बर 451 में से अपनी अन्य खातेदारी की भूमियो में कदीमी से आते–जात रहे है और काश्तकारी कार्य करते रहे है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 का कोई लेना–देना व संबंध नहीं है। वादी नं. 1 बीमार हो जाने व काफी समय तक जयपुर में रहकर अपना ईलाज हेतु भर्ती रहने के वादी नं. 1 की पत्नी भी वादी नं. 1 के साथ जयपुर में रही तथा वादीगण नं. 2 व 3 अपने ससुराल में रहने के कारण इसी बात का नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 ने अपने राजनैतिक पहुंच व धनबल, बाहुबल का दुरूपयोग करते हुए प्रतिवादी नं. 1 की अपनी खरीदशुदा भूमि 2223 वर्गफिट अर्थात् 0.02 है0 भूमि से अधिक वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 450 की शेष भूमि पर अतिक्रमण करते हुए 2223 वर्गफिट के स्थान पर 3900 वर्गफिट भूमि पर बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये ही आवासीय मकान का निर्माण कर अतिक्रमण कर कब्जा कर वादीगण को बेदखल कर दिया है और वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 450 व 452 में आने–जाने कदीमी रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 451 में अतिक्रमण बिना वैध अधिकार के कब्जे में ले लिया है। जिसका कि प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 को उनका कब्जा हटाने के लिए कहने पर प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 ने वादीगण को जान से मारने की धमकियां दे रहे है और कहा कि तुम्हारे में दम हो तो उक्त आराजी में हमारा कब्जा हटा के बता और कब्जा लेकर के बता। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 ने वादीगण को कहा कि भूमि पर हमेशा हमारा ही कब्जा रहेगा हम निर्माण करेगे तथा फसल काश्त करेगें और प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 आये दिन वादीगण की शेष भूमि पर जबरन कब्जा कर और

निर्माण करने की धमकियां दे रहे हैं तथा वादीगण को उनकी भूमियो में आने–जाने व काश्तकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने लग गये है। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के द्वारा जबरन लठ के जोर पर वाद पत्र में वर्णित वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल कर दिये जाने के कारण वाद वर्णित आराजीयात में खसरा नम्बर 450 रकबा 0.29 है0 व खसरा नम्बर 451 रकबा 0.05 है0 भूमि में से प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 को बेदखल किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा वादीगण को सुपुर्द करवाया जावे एवं प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 को हमेशा–हमेशा के लिए जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया किया जावे कि वे स्वयं या अन्य किसी माध्यम से वाद वर्णित आराजीयात में खसरा नम्बर 450 रकबा 0.29 है0 व खसरा नम्बर 451 रकबा 0.05 है0 में प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 को बेदखल किये जाने व वादीगण को कब्जा दिलाये जाने के बाद भविष्य में वादीगण वाद वर्णित आराजीयात में खसरा नम्बर 450 रकबा 0.29 है0 व खसरा नम्बर 451 रकबा 0.05 है0 अथवा किसी भी भू–भाग में पुनः कब्जा नहीं करे, जबरन निर्माण कार्य नहीं करे, वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, भूमि को किसी अन्य के हक में रहन, किराया, ठेका/पट्टे पर नहीं देवे, आराजीयात पर आने–जाने काश्तकारी करने में वादी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा पाबंद रहे एवं नि मथुरा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 को जरिए आज्ञापक व्यादेश से आदेशित किया जावे कि प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा खरीद की गई भूमि रकबा 0.02है0 अर्थात् 2223 वर्गफिट से अधिक भूमि पर करवाये गये निर्माण कार्य को अपने स्तर पर व अपने खर्चे. पर हटाकर मौके से मलबा हटवाये तथा आदेशित रहे। यदि प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 को उक्तानुसार पाबंद नहीं किया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं होगा। वाद कारण हाल ही में उत्पन्न हुआ जब प्रवितादीगण नं. 1 ता 5 वादीगण को उनकी भूमियों में आने–जाने में बाधा उत्पन्न कर वादीगण की भूमियो पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने व वादीगण को बेदखल करने की धमकियां देने से उत्पन्न हुआ है, जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादी नं. 6 वाद वर्णित खाता संख्या 180 की भूमि का सहखातेदार होने के कारण इसे वाद पत्र मे फोरमल पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नं. 6 के विरूद्ध वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहते है। वाद वर्णित आराजीयात व वादी का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद अन्तर्गत 188 व 183 आर.टी. एक्ट के तहत उचित कोर्ट फीस व अंदर मियाद पेश है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने शपथ पत्र साक्ष्य वादी पी. डब्ल्यू 1 बजरंगा पुत्र गोरिया जाति बलाई उम्र 55 वर्ष निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.) का पेश किया। शपथ पत्र में पी. डब्ल्यू–1 वादी ने वाद के तथ्यो को ही पेश किया। पी. डब्ल्यू–1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1

जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 180, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 189, प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 379 पेश किये।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 जगन्नाथ नायक पुत्र नन्दलाल नायक जाति नायक उम्र 71 वर्ष निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.) पेश किया। साक्ष्य पी. डब्लयू–2 ने भी वाद के तथ्यो को ही अपने शपथ पत्र में पेश किया।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 व 2 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने से जिरह निल रही।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को हुबहु दोहराते हुए कथन किया कि वादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि 0.31 है0 में से अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से 1/5 हिस्से अर्थात 1/15 हिस्से अर्थात 0.02 है0 अर्थात 2223 वर्ग फीट भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने बेचान किया था जिसकी तरमीम भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर दी गई है। ख. नं. 450 का शेष रकबा 0.29 है0 आज भी वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने मिलकर शेष रकबा 0.29 है0 में 2223 वर्ग फीट के स्थान पर 3900 वर्ग फीट पर कब्जा कर मकान निर्माण कर अतिक्रमण कर वादीगण को बेदखल कर दिया है और ख. नं. 451 रकबा 0.05 है0 जिसमें से कदीमी रूप से वादीगण अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 450 व 452 में आते जाते है में भी अतिक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका कि प्रतिवादीगण को किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीण संख्या 1 ता 5 को ख. नं. 450 रकबा 0.29 है0 व ख. नं. 451 रकबा 0.05 है0 में बनाये गये मकान से बेदखल किया जावे और भौतिक रूप से कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त दुष्कृर्त्य पुनः नहीं करे और वादीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग–उपभोग व आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही किसी माध्यम से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 180, व 189 के क्रमशः ख. नं. 450 रकबा 0.29 है0 व ख. नं. 451 रकबा 0.05 है0 वादीगण की सहखातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 में प्रतिवादी का हिस्सा स्पष्ट रूप से लाल स्याही से चिन्हित है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख. नं. 1823/450 रकबा 0.02 है0 प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 की केवल ख. नं. 1823/450 रकबा 0.02 है0 की खातेदारी है जिस पर ही प्रतिवादी संख्या 1 का अधिकार है। वादीगण अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 की 0.02 है0 भूमि से अधिक वादीगण की भूमि ख. नं. 450 पर कब्जा कर मकान बना लिया और व ख. नं. 451 की भूमि के वादीगण के कदीमी रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है। अतः वादीगण द्वारा उक्त

आराजी में खातेदार की हैसियत होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को उनकी 0.02 है0 भूमि से अधिक की भूमि पर बने मकान/अतिक्रमण का हटवाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी भूमि कृषि भूमि ख0नं0 450 रकबा 0.29 है0 व ख0नं0 451 रकबा 0.05 है0, वाके ग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली में वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वह अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन कर वादी की खातेदारी की भूमि आराजी भूमि कृषि भूमि ख0नं0 450 रकबा 0.29 है0 व ख0नं0 451 रकबा 0.05 है0, वाके ग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली में का नाप–चौप करे। यदि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण/मकान/कब्जा पाया जावे तो अवैध अतिक्रमण/मकान/कब्जा हटाकर भूमि अतिक्रमण मुक्त कर उक्त खातेदारी भूमि को कब्जा वादी को सम्भलाया जावे। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम
देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....
उनवानी दावा :

1. बजरंगा पुत्र गोरिया जाति बलाई उम्र 55 वर्ष निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. कजोड़ी पुत्री गोरिया जाति बलाई उम्र 51 वर्ष निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. मथरा पुत्री गोरिया जाति बलाई उम्र 48 वर्ष निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र लादूलाल सोयल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. मूली देवी पत्नी सत्यनारायण सोयल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. मुकेश पुत्र सत्यनारायण सोयल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. सुगनी देवी पत्नी मुकेश सोयल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. शिमला देवी पत्नी नरेश सोयल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक (राज)

– प्रतिवादीगण –

वाद बेदखल आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश

मुकदमा नं. 144 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री सत्यनारायण धाकड़ अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी भूमि कृषि भूमि ख0नं0 450 रकबा 0.29 है0 व ख0नं0 451 रकबा 0.05 है0, वाके ग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली में वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न

नहीं करे तथा वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वह अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन कर वादी की खातेदारी की भूमि आराजी भूमि कृषि भूमि ख0नं0 450 रकबा 0.29 है0 व ख0नं0 451 रकबा 0.05 है0, वाके ग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली में का नाप–चौप करे। यदि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण/मकान/कब्जा पाया जावे तो अवैध अतिक्रमण/मकान/कब्जा हटाकर भूमि अतिक्रमण मुक्त कर उक्त खातेदारी भूमि को कब्जा वादी को सम्भलाया जावे।

निजी.......................................मुवलिक.......................................बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .. .. की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 12 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए